विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–16/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक–22) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ ई–राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2012 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में ''इक्तीस'' शब्द के स्थान पर ''छत्तीस'' शब्द रखा जाएगा।

3. **धारा 4 संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, ''अट्ठाईस'' शब्द के स्थान पर ''तैंतीस'' शब्द रखा जाएगा।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जो माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जन प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्रता से वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है । इसलिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2012

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 1.20 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(जी.ए.डी.फाईल नं0 जी0ए0डी0–सी (डी) (6) 1/2006)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

———————

BILL NO. 22 OF 2012

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2012

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "thirty one", the words "thirty six" shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty eight", the words "thirty three" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which Hon'ble Speaker and Deputy Speaker, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla :

The ....., 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 1.20 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C-(D) (6) 1/2006)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker' Salaries (Amendment) Bill, 2012, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.